

लोक कल्याण बनाम व्यक्तिगत अधिकार

संदर्भ

- क्या नजिता का अधिकार मूल अधिकार है? इस जटिल सवाल का उत्तर देने के लिये सुप्रीम कोर्ट में नौ जजों की संवधान पीठ बैठा दी गई है।
- इस मामले में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा था कि नजिता के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं माना जा सकता, क्योंकि नजिता की अपेक्षा लोक कल्याण को हमें ज्यादा महत्त्व देना होगा।
- जब हमने 26 जनवरी 1950 को अपना संवधान अपनाया तभी से 'सामूहिक कल्याण बनाम व्यक्तिगत अधिकार' पर बहस जारी है।
- दरअसल, कहा यह जा रहा है कि यह मामला राज्य के नीतिनिदेशक तत्त्व एवं मूल अधिकारों के बीच टकराव का है।
- अब, जब इस मामले में नौ जजों की खंडपीठ का फैसला आना बाकी है तो यह देखना दिलचस्प होगा कि लोक कल्याण और व्यक्तिगत अधिकारों में से कौन अधिक वरीयता दी जाएगी।

व्यक्तिगत अधिकारों का महत्त्व

- वदिति हो कि संवधान सभा की बैठकों में मौलिक अधिकारों के संबंध में व्यापक विचार-विमर्श किया गया।
- वे कौन से ऐसे अधिकार हैं, जिनमें मौलिक अधिकार बनाया जाना चाहिये और कौन अधिकारों को मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल नहीं किया जाना चाहिये, इसे लेकर बहसों का एक लम्बा दौर चला। उल्लेखनीय है इस बहस की परिणति किई अन्य बहुत ही महत्त्वपूर्ण प्रावधानों के तौर पर हुई।
- सभी मौलिक अधिकारों को संवधान के भाग-3 में रखा गया है। राज्य विधायी प्रक्रिया के माध्यम से इन अधिकारों को न तो खत्म कर सकता है और न ही इन अधिकारों पर कोई अंकुश लगाया जा सकता है।
- हालाँकि, संवधान में इन अधिकारों पर कुछ उचित प्रतिबंध लगाए जाने की बात भी की गई है, फिर भी हमारे संवधान ने ऐसी व्यवस्था की है कि राज्य इन अधिकारों का मनमाने तरीके से अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं।
- भारत विविधताओं का देश है, लेकिन वह संवधान और संवधान प्रदत्त मूल अधिकार ही हैं, जो विविधताओं से भरे भारत में एकता का सूत्रपात करते हैं।
- भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार अच्छे जीवन की आवश्यक और आधारभूत परिस्थितियों के लिये दिये गए हैं।
- ये मौलिक अधिकार भारतीय संवधान में नहिं हैं। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा सर्वोच्च कानून के द्वारा की जाती है, जबकि सामान्य अधिकारों की रक्षा सामान्य कानून के द्वारा की जाती है।
- नजिता के अधिकार को मूल अधिकार बनाने के पक्ष में याचिका दायर करने वालों का कहना है कि गोपनीयता गरमिपूर्ण जीवन के अधिकार का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है और नागरिकों के इस मौलिक अधिकार का हनन नहीं किया जा सकता है।

लोक कल्याण का महत्त्व

- वदिति हो कि संवधान के भाग-4 में राज्य के नीतिनिदेशक तत्त्वों को शामिल किया गया है। जैसा कि नाम से ही इंगति हो रहा है कि ये कुछ ऐसे निर्देश हैं जो राज्य के नीतिनिर्माण की आधारशिला हैं।
- नीतिनिदेशक तत्त्वों द्वारा यह निर्देशित किया जाता है कि भारतीय नागरिकों के जीवन और आजीविका में सुधार करने के लिये राज्य द्वारा नीतियों का निर्माण किया जाए।
- इसके महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए भारतीय संवधान के शिल्पकार डॉ अम्बेडकर ने कहा था कि नीतिनिदेशक तत्त्व ही भारत में सामाजिक क्रांति के सूत्राधार बनेंगे।
- दरअसल, नीतिनिदेशक तत्त्वों में सामाजिक मूल्य नहिं माने जाते हैं जैसे: कार्यस्थल पर बेहतर माहौल, समान कार्य के लिये समान वेतन और संसाधनों का न्यायसंगत वितरण आदि।
- 1947 में जब भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की, तब हालत ऐसे नहीं थे कि नीतिनिदेशक तत्त्वों को एक प्रवर्तनीय प्रावधान के तौर पर लागू किया जा सके। इन्हें तत्काल लागू करने के लिये बहुत अधिक संसाधनों की आवश्यकता थी, जो तब हमारे पास नहीं थे।
- हालाँकि, इन सदिधांतों में से कुछ को भविष्य में मूलभूत अधिकार बनाने की परिकल्पना की गई थी और हमने ऐसा किया भी। जैसे वर्ष 2009 में संसद ने शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया।

मूल अधिकार और नीतिनिदेशक तत्त्वों के बीच अंतर

- जब देश आर्थिक एवं सामाजिक मोर्चे पर अनेक समस्याओं से जूझ रहा था, तब हमारे संवधान-निर्माताओं ने देश की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बहुत से प्रावधान बनाए।
- नागरिकों को उनके विकास के लिये विभिन्न मौलिक अधिकार दिये गए। हालाँकि मौलिक अधिकारों से ही काम नहीं चल सकता था। अतः नागरिकों के

हत्तियों के संरक्षण के लिये कुछ प्रावधान आवश्यक थे ।

- इन्हें राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्वों के अंतर्गत स्थान देकर राज्य पर यह उत्तरदायित्व सौंपा गया कविह कानून-निर्माण करते समय इन तत्त्वों को अवश्य ध्यान में रखेगा ।
- मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) और नीति-निर्देशक तत्त्वों (Directive Principles) में मुख्य अंतर नमिनलखिति हैं ।

1. मौलिक अधिकारों को न्यायालय का संरक्षण प्राप्त है । उनके अतिक्रमण पर नागरिक न्यायालय से प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन, नीति-निर्देशक तत्त्वों को न्यायालय का संरक्षण प्राप्त नहीं है । अतः नागरिक न्यायालय की शरण नहीं ले सकते हैं ।
2. मौलिक अधिकार स्थगित या नलिंबति कयि जा सकते हैं, लेकिन नीति-निर्देशक तत्त्व नहीं ।
3. मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नागरिकों और राज्य के बीच के संबंधों की वविचना की गई है, लेकिन नीति-निर्देशक तत्त्वों में राज्यों के नागरिकों के साथ संबंध के अलावा उनकी अन्तरराष्ट्रीय नीतिकी वविचना भी शामिल है ।
4. मौलिक अधिकारों को पूरा करने के लिये राज्य को बाध्य कयि जा सकता है, लेकिन नीति-निर्देशक तत्त्वों के लिये नहीं ।

क्या होना चाहिये ?

- यद्यपि राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्व और मूल अधिकारों के बीच टकराव उचित नहीं कहा जा सकता, फरि भी यदा ऐसी स्थिति बनती है तो मूल अधिकारों को वरीयता दयि जाने की बात कही गई है ।
- वदिति हो क आठ जजों वाली संवधान पीठ ने वर्ष 1954 में एम.पी. शर्मा मामले में यह नरिणय दयि था क निजिता मौलिक अधिकार नहीं है । बाद में वर्ष 1962 में खड़ग सहि से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट की 6 जजों की बेंच ने भी इसी फैसेले के अनुसार व्यवस्था दी ।
- गौरतलब है क खड़ग सहि मामले के बाद से, वभिनिन नरिणयों में सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है क संवधान में मूलभूत अधिकारों को एक समग्र रूप में देखे जाने की ज़रूरत है ।
- मूल अधिकारों के तहत प्राप्त वभिनिन अधिकारों में से प्रत्येक अधिकार एक-दूसरे से कसिी न कसिी अर्थ में जुड़े हुए हैं, ऐसे में उन्हें अलग-अलग करके देखना या उन पर वचिर करना तरकसंगत नहीं होगा ।
- जब भी लोकहति और वयक्तगत अधिकारों के बीच टकराव हुआ है, न्यायालय ने वयक्तगत अधिकारों को पूरी तरह से खारज़ि करने के बजाय उचित प्रतबिंध को आधार बनाते हुए सीमति भर कयि है और इस मामले में भी शीर्ष न्यायालय से यही उम्मीद है ।

नषिकर्ष

- दरअसल, मूल अधिकार और राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्व दोनों ही अलग-अलग व्यवस्था का प्रतनिधित्व करते हैं । मूल अधिकारों का सदिधांत जहाँ फ्रांस की क्रांति से प्रभावति है, वही नीति-निर्देशक तत्त्वों में रूसी क्रांतिके मूल्य समाहति है ।
- कृष्ट वदिवानों का मानना है क संवधान सभा में औपनिवेशिक शासन के आदी लोगों का वरचस्व था, इसीलिये संवधान की प्रकृति "गरीबी उनमुख" होने के बजाय "संपत्ति-उनमुख" हो गई ।
- हालाँकि, इस वचिर से असहमत हुआ जा सकता है, कयोंकि मूल अधिकार और नीति-निर्देशक तत्त्वों में टकराव की स्थिति में न्यायपालिका ने अब तक संतुलन बनाने का काम कयि है ।
- दरअसल, एक वयक्ति से ही समाज बनता है और कसिी भी देश के लिये एक वयक्ति और वयक्तियों का समूह दोनों ही महत्त्वपूर्ण हैं । अतः दोनों के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिये । दोनों एक-दूसरे के रास्ते में न आएँ इसके लिये 'संतुलन बना रहना चाहिये । निजिता को मूल अधिकार बनाए जाने के मामले में यह संतुलन बनाए रखने की ज़मिमेदारी न्यायपालिका की है ।